कृषि निदेशालय, बिहार।

कार्यालय आदेश।

का0आ0–01 / स्था०रो०क्ली०–01 / 2006 कृ0, पटना, दिनांक 2018

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक–1889 दिनांक 18.07.2018 द्वारा विज्ञापन संख्या–07070114 के तहत अनुशंसित निम्नांकित 24 (चौबीस) अभ्यर्थियों में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कुल 04 (चार) अभ्यर्थियों को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के नियत्रणाधीन निरीक्षक (माप–तौल) के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान वेतन स्तर–7 एवं समय–समय पर अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से किया जाता हैः–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	स्थायी पता	रौल नं०	मेधा क्र०	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री अजय कुमार साहा	श्री रंजीत प्रसाद साहा,	पिता–श्री रंजीत प्रसाद साहा, नियर डी0एम0 हाई स्कूल के सामने, मकान नं0–141 वार्ड नं0–15, मुहल्ला– लाल बाग, थाना+पो0–शेखपुरा, जिला–शेखपुरा, बिहार, पिन–811105	101508	4	Gen BC	13.01.1977
2	श्री संदीप कुमार मंडल	श्री सत्यनारायण मंडल,	पिता–श्री सत्यनारायण मंडल, ग्राम–चंपानगर पो0–बनैली, थाना–के0नगर, जिला–पूर्णियाँ, पिन–854201	109380	18	MBC	15.12.1980
3	श्री सिद्धार्थ रौशन	श्री अजय कुमार,	पिता–श्री अजय कुमार, डी0–19, पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग पो0–लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना, बिहार, पिन–800020	108825	22	SC	14.02.1988
4	श्री दीपक कुमार दीप	श्री उमेश कुमार,	पिता–श्री उमेश कुमार, C/o- सिद्धेश्वर रजक, बी0एम0 दास रोड, पुरंदरपुर, पटना पो0–बांकीपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना, बिहार, पिन–800004	109222	24	SC	05.02.1990

2. यह नियुक्ति संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम द्रष्टया सही मान कर की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. सभी नवनियुक्त निरीक्षक (माप एवं तौल) नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेगें।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 13.07.2007 के अनुसार इन नव नियुक्त कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. संबंधित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापन स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

9. योगदान के समय संबंधित सभी अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायगा।

ह0/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक –01/स्था०रो०क्ली०–01/2006 कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना /संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना/सभी संबंधित सफल अभ्यर्थियों/नव नियुक्त निरीक्षक, माप तौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक –01/स्था०रो०क्ली०–01/2006 965 कृ0, पटना, दिनांक 27-11 2018

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.11.18

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।